


समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
राजस्थान।


विषय:- एफ0आर0यू0/ट्रोमा सेन्टर हेतु व अधिशेष चिकित्सकों के पदस्थापन बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत दिनांक 23/04/2015 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मीटिंग में लिये गये निर्णयानुसार आपके अधीन जिले में चिकित्सा सुविधायें सुचारु रूप से संचालित करने हेतु राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय द्वारा चयनित नव नियुक्त चिकित्सकों का प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर एक से अधिक होने पर अधिशेष चिकित्सकों को रिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर पदस्थापन के प्रस्ताव व एफ0आर0यू0 के पदों पर पीजी/ट्रेण्ड (गायनी, शिशु रोग, निश्चेतन) के प्रस्ताव व ट्रोमा सेन्टर हेतु वो चिकित्सक जो 3 वर्ष की ग्रामीण सेवा पूर्ण कर चुके हो व पीजी/ट्रेण्ड (अस्थि रोग, सर्जरी, निश्चेतन/एमओ) है, व ट्रोमा सेन्टर में काम करने के अन्य इच्छुक चिकित्सकों के प्रस्ताव, संयुक्त निदेशक (राजपत्रित) कमरा नं. 19 में 7 दिवस में भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।


निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान जयपुर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय, राज0, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग (ग्रुप-2), राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सहायक, निदेशक (जन स्वास्थ्य), निदेशालय, जयपुर।
5. संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें जोन संबंधित।
6. प्रभावी केन्द्रीय सर्वर रूप, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को आज ही विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करावें।
7. आदेश / निजी पत्रावली।


निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान जयपुर